

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसागंन (अजमेर)

श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.  
05/2019

1. श्री जुगराज पुत्र श्री गोमा
2. श्री प्रेमराज पुत्र भारमल

समस्त जाति गुर्जर निवासी रामनगर पगारा तहसील पीसागंन जिला अजमेर

....प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय पीसागंन जिला अजमेर।

... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 ,131 सपठित धारा 136

रा0 भू0 रा0 अधिनियम 1956

उपस्थित :- श्री शिवचरण शर्मा - अभिभाषक प्रार्थी

स्वयं उपस्थित - प्रार्थी संख्या 1 व 2

-: निर्णय :- दिनांक 25.02.2020


संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने जरिये अभिभाषक के यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 ,131 सपठित धारा 136 रा0 भू0 रा0 अधिनियम 1956 का अप्रार्थी के विरुद्ध इस तथ्य के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम रामनगर पटवार हल्का पगारा तहसील पीसागंन जिला अजमेर जमाबर्दी सवंत 2069 से 2072 खाता संख्या नया 27 पुराना 83 खसरा संख्या 580 रकबा 1.87 है. प्रार्थीगण की खरीदशुदा खातेदारी की आराजी है। उक्त आराजी वर्किंग खसरा संख्या 1703/2183 मिन रकबा 11-11-10 बीघा से बने जो मूल खातेदार के नाम अकिंत होकर चले आ रहा था तथा वर्किंग जमाबर्दी में दूसरा भाग 1703/2183 मिन. रकबा 5-15-00 बीघा था जो राजस्व रिकार्ड में राज. सरकार के नाम अकिंत होकर चला आ रहा था । इन दोनो का राजस्व रिकार्ड के नक्शा ट्रेस बिना तरमीम के नक्शा एक ही था। जब आधार जमाबर्दी कायम की गयी तब उक्त खसरो का मिलान क्षेत्रफल अनुसार मूल खातेदार के खसरा संख्या 580 रकबा 1.87 है. व राज सरकार के 579 रकबा 0.93 है0 कायम किये गये साथ ही आधार नक्शा ट्रेस सवंत 1981-82 कायम किया गया परन्तु भूप्रबन्ध विभाग ने बिना किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी प्रकार के आदेश व डिक्री के प्रार्थीगण की भूमि का भौतिक क्षेत्रफल नक्शा छोटा कर दिया तथा खसरा संख्या 579 का नक्शा बडा कर दिया अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाते हुए वर्तमान जमाबर्दी के नक्शा ट्रेस में रकबे अनुसार दुरुस्ती के आदेश पारित करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को सम्मन जारी किये गये। तहसीलदार पीसागंन से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार वर्किंग से वर्तमान नक्शा ट्रेस में तफावत है।

मैने आज एकपक्षिय बहस सुनी । पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया , मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं तहसीलदार पीसागंन के मौके रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 ,131 सपठित धारा




उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर  
पीसागंन



136 रा0 भू0 रा0 अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।  
तहसीलदार पीसागंज को आदेशित किया जाता है कि वह ग्राम रामनगर पटवार हल्का  
पगारा तहसील पीसागंज जिला अजमेर के वर्तमान राजस्व रिकार्ड के नक्शा ट्रेस में प्रार्थीगण  
की भूमि के खसरा संख्या 580 रकबा 1.87 है0 का नक्शा बडा करें एवं खसरा संख्या 579  
रकबा 0.93 है0 के अनुसार छोटा किया जाकर नक्शा ट्रेस में दुरुस्ती की जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व  
न्यायालय मुद्रा द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलेक्टर  
पदेन सहायक कलेक्टर  
पीसागंज